

डिक्री बमूकदमें इबादाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी - अभिलाषा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 49/2021

वादी

1. प्रेमराम पुत्र देवाराम
2. बाजूड़ीदेवी पत्नि देवाराम जातियान मेघवाल निवासी गुढारोहिली तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मंगलाराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी गुढा रोहिली तहसील जायल
2. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

- 1- वादीगण की ओर से श्री बस्तीराम ढाका एडवोकेट
- 2- प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट

:: डिक्री आदेश ::

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

- 1- वादी संख्या 1 प्रेमराम, वादी संख्या 2 बाजूड़ीदेवी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम के सामलाति हक बट एवं सह कब्जा काश्त में मौजा गुढारोहिली के खेत खसरा नम्बर 215 रकबा 4.8643 हैक्टैयर रखा जाकर सह खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. उक्त खसरान के बैंक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

आज की तारीख लीज - मुवलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31/05/24 को जारी किया गया

(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल